

समाहरणालय गोड्डा ।
(जिला समाज कल्याण शाखा)

कोटेशन हेतु उपस्कर सामग्री :-

क्रमांक	वस्तु/सामग्री	अभ्युक्ति
1	स्लेट टीन का	
2	स्लेट गिनती फ्रेम	
3	स्लेट पेन्सील (50पीस वाला)	
4	कम्प्युटर पेपर सेंचूरी (A-4 Size 75 gsm)	
5	नेल कटर	
6	पलाई लीफ कपड़ा पट्टी	
7	पलेट फाईल कपड़ा पट्टी	
8	रजिस्टर 4,6,8,10,12,14 एवं 24 नं०	
9	होर्डिंग	
10	बैनर	
11	वॉल राईटिंग	
12	रुलींग कॉपी 4 नं०, 6 नं०	
13	पेंसील नटराज	
14	रबर	
15	बॉल पेन	
16	स्केल	
17	चॉक सादा	
18	चॉक रंगीन	
19	बाल्टी प्लास्टिक 12 इंच	
20	स्टॉम्प पैड छोटा (कैमल/कोरस)	

समाहरणालय गोड्डा।

(जिला समाज कल्याण भाखा)

अल्पकालीन कोटेशन संख्या-02/2016

गोड्डा जिलान्तर्गत महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों में उपस्कर/सामग्री की आपूर्ति हेतु एवं जिला समाज कल्याण कार्यालय, जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति तथा सामाजिक सुरक्षा कोषांग हेतु विभिन्न मदों में प्राप्त आवंटन के विरुद्ध दिनांक-10.02.16 को 01:00 बजे अपराह्न तक जिला समाज कल्याण कार्यालय, गोड्डा में मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित की जाती है। क्य किये जाने वाले उपस्कर/सामग्री का व्यौरा जिला समाज कल्याण कार्यालय, गोड्डा से प्राप्त किया जा सकता है या गोड्डा जिला के वेबसाईट www.godda.nic.in पर देखा जा सकता है। कोटेशन दिनांक-10.02.16 को 3:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में क्य समिति के समक्ष खोला जायेगा। कोटेशन खोलने के समय कोटेशनदाता या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकते हैं।

तकनीकी शर्तें

1. कोटेशनदाता अग्रधन के रूप में कुल 50,000.00 (पचास हजार) रूपये बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक एवं राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र प्रतिभूति के रूप में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गोड्डा के पदनाम से जमा करना होगा।
2. कोटेशनदाता को झारखंड राज्य का वाणिज्य कर विभाग का निबंधन प्रमाण पत्र, बिक्री कर का अद्यतन स्वच्छता प्रमाण पत्र तथा आयकर रिटर्न वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। कोटेशन में अंकित दर सभी करों सहित होना अनिवार्य होगा। सभी प्रकार का कर जमा करने की जिम्मेदारी कोटेशनदाता की होगी।
3. कोटेशनदाता को झारखंड राज्य के किसी भी जिले में काली सूची में दर्ज नहीं रहने संबंधी स्वघोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

वित्तीय शर्तें :-

4. कोटेशनदाता को वित्तीय विवरणी अलग लिफाफ में देनी होगी।

अन्य शर्तें :-

5. तकनीकी विवरणी तथा वित्त विवरणी को अलग-अलग सिल लिफाफ में डाल कर पुनः एक बड़े लिफाफ में दोनों लिफाफ को डाल कर कोटेशन समर्पित करेंगे।
6. कोटेशनदाता को उपरोक्त सामग्रियों का एक ही दर कोटेशन में अंकित करना होगा एवं एक ही नमूना जिला क्य समिति के समक्ष लाना अनिवार्य होगा। एक से ज्यादा दर एवं नमूना मान्य नहीं होगा एवं उनका कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. सभी सामग्रियों की आपूर्ति संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालयों में नमूना के अनुरूप पहुँचाना अनिवार्य होगा जिसके लिए अलग से परिवहन व्यय देय नहीं होगा। भुगतान हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/अंचल अधिकारी के स्तर से प्राप्ति रसीद/प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय पर नहीं करने पर भुगतान के समय 10% राशि की कटौती कर ली जायेगी तथा काली सूची में नाम डालने की कार्रवाई की जायेगी।
8. उपरोक्त सामग्रियों की गुणवत्ता एवं परिमाण तथा दर को मद्देनजर रखते हुये क्य समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। कोटेशनदाता को कोटेशन की शर्तों एवं नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
9. सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा किसी भी कोटेशन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

उपायुक्त,
गोड्डा।